



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र 1942 (श10)
(सं0 पटना 625) पटना, मंगलवार, 22 सितम्बर 2020

परिवहन विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2020

सं0 05/स्था0-(DTO)-30/2013 (खंड-ii) 6823—जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राजेश कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री सिंह को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियों उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

सं0 05/स्था0-(DTO)-30/2013 (खंड-ii) 6824—जिला पदाधिकारी, बांका से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री संतोष कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, बांका को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियों उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

सं० 05/स्था०—(DTO)—30/2013 (खंड—ii) 6825—जिला पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार अनुज, वरीय उप समाहर्ता, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा—213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा—3 का प्रयोग करते हुए श्री अनुज को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 625-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>